

# कार्यालय— जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, पलामू।

(महात्मा गांधी नरेगा कोषांग)

विज्ञापन संख्या-01/2023

- ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड सरकार के संकल्प ज्ञापांक-4729 दिनांक-04.06.2007, संकल्प ज्ञापांक-6440 दिनांक-17.07.2012 नियुक्ति सेवा शर्त कर्तव्य (संशोधन) नियमावली, 2012 एवं ज्ञापांक-848 दिनांक-21.03.2017 के आलोक में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम अन्तर्गत संचालित योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारी के 03 पद, तकनीकी सहायक (सहायक अभियन्ता के समकक्ष) के 03 पद, तकनीकी सहायक (कनीय अभियन्ता के समकक्ष) के 02 पद, लेखा सहायक के 02 पद, कम्प्यूटर सहायक के 07 पद एवं ग्राम रोजगार सेवक के 18 रिक्त पदों पर नियुक्ति पूर्णतया संविदा के आधार पर होगी। रिक्त पदों की विवरणी निम्नवत् है -

क्र.	पदनाम	अनारक्षित	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (BC-I)	पिछड़ा वर्ग (BC-II)	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	कुल पद
1	प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारी	0	02	01	0	0	0	03
2	तकनीकी सहायक (सहायक अभियन्ता के समकक्ष)	01	01	0	0	01	0	03
3	तकनीकी सहायक (कनीय अभियन्ता के समकक्ष)	01	0	01	0	0	0	02
4	लेखा सहायक	0	01	01	0	0	0	02
5	कम्प्यूटर सहायक	03	02	0	01	01	0	07
6	ग्राम रोजगार सेवक	08	05	01	02	01	01	18

- उपरोक्त कोटिवार रिक्तियों की संख्या भविष्य में घट-बढ़ सकती है।
- प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारी, तकनीकी सहायक (सहायक अभियन्ता के समकक्ष), तकनीकी सहायक (कनीय अभियन्ता के समकक्ष), लेखा सहायक, कम्प्यूटर सहायक, ग्राम रोजगार सेवक पद हेतु ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित किया जाता है।
- 3. शैक्षणिक योग्यता -**

क्रम	पदनाम	अपेक्षित शैक्षणिक योग्यता
1	प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारी	<p><b>अनिवार्य योग्यता-</b> सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से किसी भी संकाय एवं विषय में स्नातक प्रतिष्ठा 55 प्रतिशत अंक के साथ उत्तीर्ण। सामान्य स्नातक तथा वैसे स्नातक प्रतिष्ठा उत्तीर्ण, जिनका प्राप्तांक प्रतिशत 55 प्रतिशत से कम है परन्तु वे स्नातकोत्तर उत्तीर्ण हों तो वे भी आवेदन समर्पित कर सकेंगे। सामान्य स्नातक तथा स्नातक प्रतिष्ठा में समतुल्यता स्थापित करने के लिए सामान्य स्नातक के प्राप्तांक प्रतिशत में 10 घटा दिया जायेगा तथा ऐसे घटे हुए प्राप्तांक प्रतिशत को स्नातक प्रतिष्ठा की कोटि में अंकित किया जायेगा।</p> <p><b>अतिरिक्त योग्यता -</b> a) सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से एम०बी०ए०/ पी०जी०डी०बी०ए०/ पी०जी०डी०बी०एम०/ पी०जी०डी०आर०डी०, बी०सी०ए०/ बी०एससी० कम्प्यूटर/ बी०एससी० कम्प्यूटर ऑनर्स तथा एम०सी०ए०/एम०एससी० (कम्प्यूटर विज्ञान) अतिरिक्त योग्यताएँ मानी जायेंगी। एम०बी०ए० एवं पी०जी०डी०बी०एम०/पी०जी०डी०बी०ए०/ पी०जी०डी०आर०डी० में समतुल्यता लाने हेतु पी०जी०डी०बी०ए०/ पी०जी०डी०बी०एम०/</p>

		<p>पी०जी०डी०आर०डी०, के प्राप्तांक प्रतिशत में 5 घटा कर एम०बी०ए० की कोटि में प्राप्तांक प्रतिशत जोड़ा जायेगा। बी०सी०ए० तथा सामान्य बी०एससी० कम्प्यूटर को बी०एससी० कम्प्यूटर ऑनर्स की श्रेणी में लाने के हेतु उनके प्राप्तांक प्रतिशत से 5 क्रमशः घटा दिये जायेंगे तथा बी०एससी० कम्प्यूटर ऑनर्स कोटि में तदनु रूप प्राप्तांक प्रतिशत जोड़ा जायेगा।</p> <p>b) एम०सी०ए०/एम०एससी० कम्प्यूटर को समान योग्यताएँ समझा जायेगा एवं तदनु रूप उनके प्राप्तांक प्रतिशत मूल रूप में एम०सी०ए० की कोटि में जोड़े जाएँगे। पी०जी०डी०सी०ए० तथा एम०सी०ए० में समतुल्यता लाने हेतु पी०जी०डी०सी०ए० के प्राप्तांक प्रतिशत में 5 घटा दिया जायेगा जबकि अभ्यर्थी ने बी०सी०ए० या बी०एससी० कम्प्यूटर साईंस या बी०एससी० कम्प्यूटर ऑनर्स के पश्चात् पी०जी०डी०सी०ए० किया हो अन्यथा पी०जी०डी०सी०ए० के प्राप्तांक प्रतिशत में 10 घटाकर उसके प्राप्तांक प्रतिशत को एम०सी०ए० की कोटि में रखा जायेगा।</p>
2	<p><b>तकनीकी सहायक (सहायक अभियन्ता के समकक्ष)</b></p>	<p><b>अनिवार्य योग्यता—</b> सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से सिविल संकाय में बी०ई० या बी०टेक अनिवार्य योग्यता होगी।</p> <p><b>अतिरिक्त योग्यता —</b></p> <p>a) सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से सिविल संकाय में एम०टेक तथा पी०जी०डी०सी०ए०/एम०सी०ए०/एम०एससी० कम्प्यूटर साईंस अतिरिक्त योग्यता होगी।</p> <p>b) एम०सी०ए०/एम०एससी० कम्प्यूटर को समान योग्यताएँ समझा जायेगा एवं तदनु रूप उनके प्राप्तांक प्रतिशत मूल रूप में एम०सी०ए० की कोटि में जोड़े जाएँगे। पी०जी०डी०सी०ए० तथा एम०सी०ए० में समतुल्यता लाने हेतु पी०जी०डी०सी०ए० के प्राप्तांक प्रतिशत में 5 घटा दिया जायेगा।</p>
3	<p><b>तकनीकी सहायक (कनीय अभियन्ता के समकक्ष)</b></p>	<p><b>अनिवार्य योग्यता—</b> सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से सिविल संकाय में डिप्लोमा अनिवार्य योग्यता होगी।</p> <p>नोट — विभागीय पत्रांक-1187/ग्रा०वि०, राँची, दिनांक-01.03.2013 के आलोक में उच्चतर योग्यताधारी अभ्यर्थी यथा सिविल संकाय में बी०टेक/बी०ई० उत्तीर्ण भी आवेदन कर सकेंगे।</p> <p><b>अतिरिक्त योग्यता —</b></p> <p>a) सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से सिविल संकाय में बी०टेक/बी०ई०, बी०सी०ए०/बी०एससी० कम्प्यूटर/बी०एससी० कम्प्यूटर ऑनर्स तथा एम०सी०ए०/पी०जी०डी०सी०ए०/एम०एससी० कम्प्यूटर साईंस अतिरिक्त योग्यता होगी।</p> <p>b) बी०सी०ए० तथा सामान्य बी०एससी० कम्प्यूटर को बी०एससी० कम्प्यूटर ऑनर्स की श्रेणी में लाने के हेतु उनमें प्राप्तांक प्रतिशत से 5 क्रमशः घटा दिये जायेंगे तथा बी०एससी० कम्प्यूटर ऑनर्स कोटि में तदनु रूप प्राप्तांक प्रतिशत जोड़ा जायेगा।</p> <p>c) एम०सी०ए०/एम०एससी० कम्प्यूटर को समान योग्यताएँ समझा जायेगा एवं तदनु रूप उनके प्राप्तांक प्रतिशत मूल रूप में एम०सी०ए० की कोटि में जोड़े जाएँगे। पी०जी०डी०सी०ए० तथा एम०सी०ए० में समतुल्यता लाने हेतु पी०जी०डी०सी०ए० के प्राप्तांक प्रतिशत में 5 घटा दिया जायेगा।</p>
4	<p><b>लेखा सहायक</b></p>	<p><b>अनिवार्य योग्यता—</b></p>

		<p>सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से बी०कॉम० ऑनर्स या सामान्य बी०कॉम० न्यूनतम 55 प्रतिशत अंक से उत्तीर्ण। सामान्य बी०कॉम० उत्तीर्ण, जिन्हें 55 प्रतिशत प्राप्त नहीं हुआ हो, परन्तु जिन्होंने तत्पश्चात् एम०कॉम० किया हो तो वे आवेदन दे सकेंगे परन्तु बी०कॉम० के कुल प्रतिशत प्राप्तांक में 5 घटाकर उसे बी०कॉम० ऑनर्स की कोटि में अंकित किया जायेगा।</p> <p><b>अतिरिक्त योग्यता –</b></p> <p>a) सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से एम०कॉम०, बी०सी०ए० तथा एम०सी०ए०/पी०जी०डी०सी०ए०/एम०एससी० अतिरिक्त योग्यता होगी।</p> <p>b) एम०सी०ए०/एम०एससी० कम्प्यूटर को समान योग्यताएँ समझा जायेगा एवं तदनु रूप उनके प्राप्तांक प्रतिशत मूल रूप में एम०सी०ए० की कोटि में जोड़े जाएँगे। पी०जी०डी०सी०ए० तथा एम०सी०ए० में समतुल्यता लाने हेतु पी०जी०डी०सी०ए० के प्राप्तांक प्रतिशत में 5 घटा दिया जायेगा जबकि अभ्यर्थी ने बी०सी०ए० के पश्चात् पी०जी०डी०सी०ए० किया हो अन्यथा पी०जी०डी०सी०ए० के प्राप्तांक प्रतिशत में 10 घटाकर उसके प्राप्तांक को एम०सी०ए० की कोटि में रखा जायेगा।</p>
5	<p><b>कम्प्यूटर सहायक</b></p>	<p><b>अनिवार्य योग्यता–</b></p> <p>a) सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से निम्नांकित कोटि के व्यक्ति आवेदन दे सकेंगे।</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. बी०एससी० कम्प्यूटर ऑनर्स,</li> <li>2. बी०एससी० कम्प्यूटर सामान्य,</li> <li>3. बी०सी०ए०</li> <li>4. सामान्य स्नातक उत्तीर्ण के पश्चात् पी०जी०डी०सी०ए० उत्तीर्ण।</li> </ol> <p>b) बी०सी०ए० तथा सामान्य बी०एससी० कम्प्यूटर के प्रतिशत प्राप्तांक में 5 घटाते हुए उसे बी०एससी० कम्प्यूटर ऑनर्स की कोटि में अंकित किया जायेगा। वैसे सामान्य स्नातक जिन्होंने तत्पश्चात् पी०जी०डी०सी०ए० किया हो, के सामान्य स्नातक के प्रतिशत प्राप्तांक में 10 घटाकर बी०एससी० कम्प्यूटर ऑनर्स की कोटि में अंकित किया जायेगा।</p> <p><b>अतिरिक्त योग्यता –</b></p> <p>a) सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से एम०सी०ए०/पी०जी०डी०सी०ए०/ एम०एससी० कम्प्यूटर साईंस अतिरिक्त योग्यता होगी।</p> <p>b) एम०सी०ए० या एम०एससी० कम्प्यूटर को समान योग्यताएँ समझा जायेगा एवं तदनु रूप उनके प्राप्तांक प्रतिशत मूल रूप में एम०सी०ए० की कोटि में जोड़े जाएँगे। पी०जी०डी०सी०ए० तथा एम०सी०ए० में समतुल्यता लाने हेतु पी०जी०डी०सी०ए० के प्राप्तांक प्रतिशत में 5 घटा दिया जायेगा। जबकि अभ्यर्थी ने बी०सी०ए०/सामान्य बी०एससी० कम्प्यूटर के पश्चात् पी०जी०डी०सी०ए० किया हो अन्यथा पी०जी०डी०सी०ए० के प्राप्तांक प्रतिशत में 10 घटाकर उसके प्राप्तांक प्रतिशत को एम०सी०ए० की कोटि में रखा जायेगा।</p>
6	<p><b>ग्राम रोजगार सेवक</b></p>	<p><b>I अनिवार्य योग्यता–</b></p> <p>सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से इंटरमीडिएट या मैट्रिक परीक्षा के पश्चात् किसी भी ट्रेड में आई०टी०आई० (ITI), मैट्रिक के पश्चात् आई०टी०आई० (ITI) की स्थिति में आई०टी०आई० (ITI) के प्राप्तांक प्रतिशत को इंटरमीडिएट प्राप्तांक प्रतिशत के समतुल्य समझा जायेगा।</p> <p><b>II अतिरिक्त योग्यता –</b></p>

- a) सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से किसी भी विषय/संकाय में स्नातक प्रतिष्ठा/सामान्य स्नातक/बी०सी०ए० तथा किसी भी विषय में स्नातकोत्तर/ पी०जी०डी०सी०ए०/ पी०जी०डी०बी०ए०/ पी०जी०डी०आर०डी० अतिरिक्त योग्यता होगी।
- b) स्नातक प्रतिष्ठा के प्रतिशत प्राप्तांक को 5 अंक का अधिभार देते हुए स्नातक की कोटि में अंकित किया जायेगा। पी०जी०डी०सी०ए०/ पी०जी०डी०बी०ए०/ पी०जी०डी०आर०डी० को स्नातकोत्तर की श्रेणी में लाने के लिए उसके प्राप्तांक प्रतिशत से 5 घटा दिया जायेगा।
- III अभ्यर्थियों के योग्यता स्कोर का निर्धारण इंटरमीडिएट, स्नातक तथा स्नातकोत्तर योग्यताओं के कुल औसत प्रतिशत प्राप्तांक के आधार पर किया जायेगा।

4. उपर्युक्त वर्णित क्रमांक- 01 से 06 तक सभी शैक्षणिक योग्यताएँ जिसकी सरकारी मान्यता प्राप्त हो, ही मान्य होंगी।
5. **आयु सीमा** – उपर्युक्त पदों के लिए आवेदकों की आयु सीमा कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के संकल्प संख्या- 29, दिनांक- 04.01.2021 के अनुसार निम्नवत होगी। आयु सीमा की गणना दिनांक-01.01.2023 के आधार पर (न्यूनतम 18 वर्ष) की जायेगी –

क्रम	कोटि	सामान्य अधिकतम आयु सीमा	दिव्यांग जनों के लिए
1	अनारक्षित(पुरुष)/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (पुरुष)	35 वर्ष	45 वर्ष
2	पिछड़ा वर्ग/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (पुरुष)	37 वर्ष	47 वर्ष
3	महिला (अनारक्षित/पिछड़ा वर्ग/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग)	38 वर्ष	48 वर्ष
4	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (पुरुष एवं महिला)	40 वर्ष	50 वर्ष

ख) भूतपूर्व सैनिकों (Ex-Serviceman) को उनके आरक्षण कोटि के लिए निर्धारित अधिकतम उम्र सीमा में 05 वर्षों की छूट होगी।

6. **राष्ट्रीयता** – आवेदक भारत का नागरिक हो।
7. **आरक्षण** –अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्गों, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं निःशक्त श्रेणी के आवेदकों के लिए आरक्षण रोस्टर पलामू जिला के तत्समय प्रवृत्त आदेशों के अनुसार निर्धारित किया जायेगा।

क) आरक्षण का दावा करनेवाले आवेदकों हेतु स्थायी निवास प्रमाण-पत्र- कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्रांक-4650 दिनांक-02.06.2016 एवं पत्रांक-5752 दिनांक-19.07.2019 द्वारा निर्धारित प्रपत्र में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत स्थानीय निवास प्रमाण-पत्र मान्य होंगे।

ख) अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-I)/ पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-II)/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आवेदक जो आरक्षण का दावा करते हैं उनके द्वारा कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्रांक-1754 दिनांक-25.02.2019 एवं पत्रांक-156 दिनांक-06.01.2017 द्वारा तत्समय प्रवृत्त निर्धारित विहित प्रपत्र में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत जाति प्रमाण-पत्र, आय एवं सम्पत्ति प्रमाण-पत्र ही मान्य होंगे। महिला क्षेत्रीय आरक्षण सरकार के सचिव, कार्मिक राँची के पत्रांक 5776 दिनांक 10.10.2002 के आलोक में मान्य होगा।

ग) निःशक्त श्रेणी के आवेदकों के आरक्षण राज्य सरकार के तत्समय प्रवृत्त आदेशों के अनुसार निर्धारित किया जायेगा।

8. **परिलब्धि** – विभागीय पत्रांक-1028(N)/ग्रा0वि0, राँची दिनांक-04.08.2022 के आलोक में विभिन्न पदों की मासिक परिलब्धियाँ देय होगी।
9. i) प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारी, तकनीकी सहायक (सहायक अभियन्ता के समकक्ष), तकनीकी सहायक (कनीय अभियन्ता के समकक्ष), लेखा सहायक, कम्प्यूटर सहायक, ग्राम रोजगार सेवक के पद हेतु आवेदक के द्वारा किसी एक जिला में ही आवेदन दिया जा सकेगा तथा आवेदन के साथ यह **शपथ पत्र** मूल प्रति में देना होगा कि झारखण्ड राज्य के किसी अन्य जिला में इस पद विशेष हेतु आवेदन समर्पित नहीं किया गया है। यदि उनका यह मूल **शपथ-पत्र** कभी भी गलत पाया गया तो उनकी नियुक्ति स्वतः रद्द समझी जायेगी तथा उनके विरुद्ध आवश्यक कानूनी कार्रवाई भी की जा सकेगी।  
ii) आवेदक एक से अधिक पदों के लिए अपनी योग्यता के अनुसार पदवार पृथक-पृथक मूल शपथ पत्र के साथ आवेदन पत्र समर्पित कर सकेंगे।
10. इन पदों पर नियुक्ति पूर्णतया संविदा के आधार पर होगी। ऐसी नियुक्ति को नियमित रूप से नियुक्त करने का सरकार पर कोई दायित्व नहीं होगा।
11. उपर्युक्त पदों पर शैक्षणिक योग्यता के घटते हुए क्रम में आवेदकों की प्रारम्भिक मेधा सूची तैयार की जायेगी एवं आवश्यकतानुसार दक्षता परीक्षा ली जा सकती है।
12. प्रारम्भिक चरण में इनकी नियुक्ति एक वर्ष के लिए की जायेगी तथा इस कालावधि के पूर्ण होने के पूर्व पद विशेष पर नियुक्ति के लिए गठित नियुक्ति समिति के द्वारा उनके कार्यों की समीक्षा की जायेगी। कार्य संतोषप्रद पाये जाने पर अगले एक वर्ष के लिए संविदा के आधार पर नियुक्ति का नवीकरण किया जा सकेगा। तत्पश्चात् राज्य सरकार के द्वारा समय-समय पर लिये गए निर्णय के अनुरूप यदि उनके सेवाओं की आवश्यकता बनी रहेगी तो नियुक्ति समिति द्वारा ही कार्य की समीक्षा के पश्चात् उपर्युक्त पाये जाने पर वार्षिक रूप से ऐसी नियुक्ति का नवीकरण किया जा सकेगा।
13. संविदा के आधार पर नियुक्ति नियमावली मार्गदर्शिका का नियम-11(ख) में वर्णित प्रावधान के अनुरूप नहीं होने पर ऐसी नियुक्ति स्वतः समाप्त समझी जायेगी।
14. प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारी, तकनीकी सहायक (सहायक अभियन्ता के समकक्ष), तकनीकी सहायक (कनीय अभियन्ता के समकक्ष), लेखा सहायक, कम्प्यूटर सहायक, ग्राम रोजगार सेवक के पदों पर चयन पलामू जिला के लिए किया जायेगा, यह पद जिला स्तरीय होगा। इन सभी पदों के लिए चयनित आवेदकों का पदस्थापन संबंधित जिला के किसी भी प्रखण्ड में करने के लिए उपायुक्त, पलामू सक्षम होंगे एवं उनका निर्णय बाध्यकारी होगा।
15. यदि कोई कार्यरत पदाधिकारी/कर्मि ऐसी नियुक्ति से स्वतः मुक्त होना चाहेगा तो उसे अपने नियंत्रित पदाधिकारी के माध्यम से नियुक्ति पदाधिकारी को इसकी लिखित सूचना एक माह पूर्व देनी होगी या एक माह की परिलब्धि जमा करनी होगी। इसके विपरित यदि नियुक्ति पदाधिकारी को ऐसे कार्यरत पदाधिकारी/कर्मि की सेवा की आवश्यकता नहीं हो तो वे उसे एक माह की लिखित सूचना या एक माह की परिलब्धि देकर कार्यरत पदाधिकारी/कर्मि की सेवा समाप्त कर सकेंगे। परन्तु कार्य असंतोषजनक पाये जाने पर ऐसे कार्यरत पदाधिकारी/कर्मि की सेवा नियुक्ति पदाधिकारी के द्वारा किसी भी वक्त समाप्त की जा सकेगी।
16. ऑनलाईन आवेदन के साथ सभी प्रकार के शैक्षणिक प्रमाण-पत्र, अंक पत्र, जाति प्रमाण-पत्र एवं अन्य आवश्यक प्रमाण-पत्रों को अपलोड करना आवश्यक होगा।
17. जिला में उपलब्ध रिक्ति के विरुद्ध नियुक्ति हेतु तैयार प्रारम्भिक मेधा सूची से आवेदकों के प्रमाण-पत्रों का सत्यापन इत्यादि गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा किया जायेगा।

18. किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में अन्तिम निर्णय लेने का अधिकार जिला स्तरीय चयन समिति में निहित होगा।
19. विज्ञापन में किसी भी कारणवश आंशिक संशोधन या इसे पूर्णतः रद्द करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी में निहित होगा।

ह0/-

उपायुक्त-सह-  
जिला कार्यक्रम समन्वयक,  
पलामू

ज्ञापांक 955 / मनरेगा, दिनांक 08-12-2023

- प्रतिलिपि - जिला सूचना एवं प्रौद्योगिकी पदाधिकारी, एन.आई.सी., पलामू को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि उपर्युक्त विज्ञापन को पलामू जिला के वेबसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे।
- प्रतिलिपि - सरकार के संयुक्त सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि उक्त विज्ञापन को <http://applyrdd.jharkhand.gov.in> पर अपलोड कराया जाय। साथ ही अभ्यर्थियों के लिए ऑनलाईन आवेदन करने की प्रक्रिया प्रारम्भ कराया जाय।
- प्रतिलिपि - मनरेगा आयुक्त, ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

3  
08/12/23

उपायुक्त-सह-  
जिला कार्यक्रम समन्वयक,  
पलामू

## आवेदन कैसे करें –

क) आवेदक के द्वारा दिनांक **13.12.2023** से दिनांक **02.01.2024** अपराह्न 5:00 बजे तक वेबसाइट <http://applyrdd.jharkhand.gov.in> पर केवल ऑनलाईन आवेदन स्वीकार किया जायेगा।

आवेदन के साथ निम्न दस्तावेज/प्रमाण-पत्र अपलोड करना अनिवार्य होगा –

1. स्वहस्ताक्षरित रंगीन फोटो
  2. सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से निर्गत अनिवार्य योग्यता का अंक-पत्र
  3. सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से निर्गत अतिरिक्त योग्यता का अंक-पत्र
  4. आरक्षण का दावा करनेवाले आवेदकों के लिए सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत जाति प्रमाण-पत्र एवं दिव्यांगता प्रमाण-पत्र
  5. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आवेदकों के लिए सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत आय एवं संपत्ति प्रमाण-पत्र
  6. सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत स्थानीय निवास प्रमाण-पत्र
  7. शपथ पत्र – विज्ञापन प्रकाशन की तिथि से आवेदन करने की अंतिम तिथि तक का निर्गत शपथ-पत्र ही मान्य होगा। जैसे आवेदक जो एक से अधिक पदों के लिए आवेदन कर रहे हैं, उन्हें पदवार पृथक रूप से शपथ-पत्र अपलोड करना अनिवार्य होगा।
  8. जन्मतिथि के लिए मैट्रिक उत्तीर्णता प्रमाण-पत्र
  9. सभी अपलोड किये जानेवाले प्रमाण-पत्र पठनीय होना चाहिए। अपठनीय होने की स्थिति में संलग्न प्रमाण-पत्र पर विचार नहीं किया जायेगा तथा Online Uploaded प्रमाण पत्र के अतिरिक्त अन्य प्रमाण पत्र संलग्न करने का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जायेगा।
  10. जिन आवेदकों के शैक्षणिक प्रमाण-पत्र में Grade/CGPA/DGPA स्कोर कार्ड के अनुरूप अंकित हो, उन आवेदकों को अपने संबंधित विश्वविद्यालय/संस्थान से प्रतिशत में अन्तरण कराकर प्रमाण-पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा। जैसे आवेदक जिनका 5 वर्षीय स्नातक एवं स्नातकोत्तर का एकीकृत (Integrated) अंक पत्र हो, उन्हें संबंधित विश्वविद्यालय/संस्थान से स्नातक एवं स्नातकोत्तर का पृथक अंक पत्र/प्रतिशत का प्रमाण-पत्र अपलोड करना अनिवार्य होगा।
- ख) आवेदक एक से अधिक पदों के लिए आवेदन समर्पित कर सकते हैं। इसके लिए प्रत्येक पद के लिए अलग-अलग आवेदन पत्र समर्पित करना होगा।
- ग) अहर्ता के अनुरूप आवेदन से ऑनलाईन आवेदन में मांगी गई सभी विवरणी पूर्ण रूपेण भरा जाना अनिवार्य है।
- घ) आवेदक द्वारा आधार कार्ड/मतदाता पहचान पत्र/ड्राइविंग लाइसेंस/पैन कार्ड में से किसी एक का विवरण ऑनलाईन आवेदन में देना अनिवार्य है।
- ङ) निर्धारित तिथि के उपरांत ऑनलाईन आवेदन पत्र पर किसी प्रकार का दावा मान्य नहीं होगा।
- च) आवेदक द्वारा ऑनलाईन भरे गये गलत सूचना पर संबंधित आवेदक का आवेदन स्वतः रद्द समझा जायेगा।



उपायुक्त-सह-  
जिला कार्यक्रम समन्वयक,  
पलामू

## आवेदन पत्र का प्रपत्र

हाल का  
पासपोर्ट साईज  
फोटो

1. आवेदित पद का नाम .....
2. अभ्यर्थी का नाम .....
3. पिता/पति का नाम .....
4. स्थायी पता .....
5. वर्तमान पता .....
6. मोबाईल नम्बर .....
7. आधार कार्ड संख्या/पैन कार्ड संख्या/ मतदाता पहचान पत्र संख्या/ ड्राइविंग लाइसेंस संख्या (इनमें से किसी एक का संख्या भरना अनिवार्य है).....
8. ईमेल ..... 9. विवाहित ..... (हाँ/ नहीं)
10. जन्म तिथि ..... (मैट्रिक उत्तीर्णता प्रमाण-पत्र की छायाप्रति)
11. लिंग ..... 11. दिव्यांग ..... (हाँ/ नहीं यदि हाँ तो प्रमाण-पत्र की छायाप्रति)
12. शपथ पत्र ..... (मूल रूप में संलग्न करें)
13. कोटि ..... (सामान्य/ अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अत्यन्त पिछड़ा (अनुसूची-I)/ पिछड़ा (अनुसूची-II)/ आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग प्रमाण-पत्र की छायाप्रति)
14. अनिवार्य योग्यता -

क्रम	परीक्षा का नाम	विश्वविद्यालय/ संस्थान का नाम	उत्तीर्णता वर्ष	पूर्णांक	प्राप्तांक	प्राप्तांक %

15. अतिरिक्त योग्यता -

क्रम	परीक्षा का नाम	विश्वविद्यालय/ संस्थान का नाम	उत्तीर्णता वर्ष	पूर्णांक	प्राप्तांक	प्राप्तांक %
i	सामान्य स्नातक					
ii	स्नातक प्रतिष्ठा					
iii	बी०सी०ए०					
iv	बी०एससी० कम्प्यूटर					
v	बी०एससी० कम्प्यूटर ऑनर्स					
vi	बी०टेक सिविल					
vii	स्नातकोत्तर					
viii	एम०कॉम०					
ix	एम०बी०ए०					
x	पी०जी०डी०बी०ए०					
xi	पी०जी०डी०बी०एम०					
xii	पी०जी०डी०आर०डी०					
xiii	पी०जी०डी०सी०ए०					
xiv	एम०सी०ए०					
xv	एम०एस०सी०					
xvi	एम०एससी० कम्प्यूटर विज्ञान					
xvii	एम०टेक सिविल					
xviii	अन्य					

(नोट-अनिवार्य योग्यता से संबंधित डिग्री को अतिरिक्त योग्यता में दर्ज नहीं करें)

मैं यह घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई सभी जानकारी सत्य है किसी भी परिस्थिति में मेरे द्वारा दी गई कोई भी जानकारी गलत पाये जाने पर मेरी पात्रता रद्द की जा सकती है।

स्थान -  
दिनांक -

आवेदक/आवेदिका का हस्ताक्षर



## शपथ पत्र प्रारूप (नोटरी द्वारा निर्गत)

विज्ञापन संख्या:—.....

पद का नाम:—.....

1. अभ्यर्थी का नाम:—.....

2. पिता/पति का नाम:—.....

3. स्थायी पता:—.....

.....

4. वर्तमान पता:—.....

.....

### घोषणा

मैं, ..... पिता/पति ..... द्वारा मनरेगा अंतर्गत ..... पद हेतु सिर्फ पलामू जिला में ही आवेदन समर्पित किया हूँ। मेरे द्वारा झारखण्ड राज्य अंतर्गत किसी अन्य जिला में आवेदन समर्पित नहीं किया गया है। यदि मेरा शपथ-पत्र कभी भी गलत पाया गया तो मेरी नियुक्ति स्वतः रद्द समझी जायेगी तथा मेरे विरुद्ध आवश्यक कानूनी कार्रवाई भी की जा सकेगी।

स्थान:—

आवेदक/आवेदिका का हस्ताक्षर

दिनांक:—